भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2101**

उत्तर देने की तारीख-11/03/2026

**समग्र शिक्षा योजना और एनईपी 2020 का कार्यान्वयन**

2101 **डा. भागवत कराड़:**

**श्री नरहरी अमीन:**

**श्रीमती सीमा द्विवेदी:**

**डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:**

**श्रीमती माया नारोलिया:**

**श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:**

**श्रीमती रेखा शर्मा:**

**श्री मयंककुमार नायक:**

**डा. कविता पाटीदार:**

**श्री मनन कुमार मिश्र:**

**डा. सुमेर सिंह सोलंकी:**

**श्री दीपक प्रकाश:**

**श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:**

**श्रीमती किरण चौधरी:**

**श्री एस. सेल्वागनबेथी:**

**श्री चुन्नीलाल गरासिया:**

**डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:**

**श्री मिलिंद मुरली देवरा:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना विकास, शिक्षक क्षमता निर्माण तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप गुणवत्ता संवर्धन के लिए किए गए उपाय शामिल हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य-वार कितने स्कूलों का उन्नयन किया गया, कितने नए आवासीय स्कूल/छात्रावास स्थापित किए गए, कितनी अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया गया और कितने आईसीटी-सक्षम स्मार्ट स्कूल विकसित किए गए;

(ग) क्या मंत्रालय समग्र शिक्षा के तहत उत्कृष्ट परिणाम प्रदर्शित करने वाले राज्यों के लिए अतिरिक्त प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन या विशेष सहायता तंत्र शुरू करने का विचार रखता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क): समग्र शिक्षा योजना स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक की सभी सुविधाएं शामिल हैं। यह योजना स्कूल शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में मानती है तथा शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी -4) के अनुसार है। इस योजना को एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जिससे उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जा सके और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा सके।

समग्र शिक्षा योजना सरकारी स्कूलों में, दोनों प्रत्यक्ष कार्यक्रम वित्त पोषण के माध्यम से तथा केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य संगत योजनाओं के साथ अभिसरण में बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के सृजन में सहायता करती है। बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं की राज्यवार वर्तमान स्थिति यूडाइज+ पोर्टल <http://udiseplus.gov.in/#/en/page/publications> पर उपलब्ध है।

समग्र शिक्षा के तहत, छात्रों के अधिगम के स्तर में सुधार पर ध्यान देने के साथ गुणवत्ता और नवाचार का एक समर्पित घटक है, जिसमें राज्यों को अधिगम में वृद्धि कार्यक्रम, युवा और इको क्लब ; समग्र प्रगति कार्ड; अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए समग्र स्कूल अनुदान; पुस्तकालय; खेल और शारीरिक शिक्षा, आदि जैसे उपायों के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है।

समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत शिक्षक क्षमता निर्माण और गुणवत्ता वृद्धि उपायों को मजबूत करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के साथ

संरेखित है। एनईपी 2020 अनुशंसा करती है कि शिक्षकों में आत्म-सुधार उनके पेशे में नवीनतम नवाचारों और प्रगति को शामिल करने के लिए निरंतर अवसर दिए जाएं। समग्र शिक्षा योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और कक्षा पद्धतियों में सुधार के लिए शैक्षिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सेवाकालीन शिक्षक और शिक्षक शिक्षकों का प्रशिक्षण समग्र शिक्षा योजना का एक अभिन्न अंग है। ये प्रशिक्षण संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप शिक्षकों की क्षमता निर्माण और गुणवत्ता बढ़ाने के उपायों के लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा), ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा (दीक्षा), एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी- सेवा-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण) जैसी पहल भी की जा रही हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 15.11 में परिकल्पित राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम) में स्कूली शिक्षकों को सलाह प्रदान करने के इच्छुक उत्कृष्ट पेशेवरों के एक बड़े पूल के निर्माण की अवधारणा है। ये संभावित संरक्षक, उम्र या पद की परवाह किए बिना, हमारे राष्ट्र के 21वीं सदी के विकास लक्ष्यों को साकार करने में योगदान देंगे। एनएमएम लघु और दीर्घकालिक सलाह/पेशेवर सहायता के महत्व को रेखांकित करता है। यह विभिन्न व्यक्तियों के बीच क्रॉस-लर्निंग का लाभ उठाने का अवसर देता है जिससे उनका निरंतर व्यावसायिक विकास होता है। मेंटर स्कूल शिक्षकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने, उनकी शिक्षण प्रथाओं, ज्ञान कौशल और छात्र अधिगम परिणामों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के दृष्टिकोण में सुधार करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी), जैसा कि एनईपी 2020 के पैरा 5.20 में परिकल्पित है, शिक्षकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उन्हें यह समझ मिलती है कि उनके प्रदर्शन के संदर्भ में क्या अपेक्षित है और इसे बढ़ाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है।

स्कूल शिक्षा के मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य चरण (क्रमश: कक्षा 3, 6 ओर 9) के अंत में छात्रों के बीच दक्षताओं के विकास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति(एनईपी) 2020 के तहत मानक प्रदर्शन को मापने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 (पूर्व में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) का आयोजन राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र-परख, एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के रिपोर्ट कार्ड https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर

उपलब्ध हैं, जो मूल्यांकन के निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक समर्पित डैशबोर्ड है।

(ख) समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक अनुमोदित राज्यवार अतिरिक्त कक्षाएं और नए/उन्नत स्कूल **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

स्थापना के बाद से अनुमोदित स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट क्लासरूम की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

पीएम जनमन के तहत अनुमोदित छात्रावासों की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक-III** में संलग्न है और पिछले 3 वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान डीएजेजीयूए कार्यक्रमों के तहत अनुमोदित छात्रावास **अनुलग्नक-III (क)** में संलग्न हैं।

(ग) और (घ): समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न कार्यकलापों को अनुमोदित किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) तैयार किया जाता है। विभिन्न गतिविधियों/घटकों वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार राज्य के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा किया जाता है। निधियों के केन्द्रीय हिस्से को किस्तों में जारी किया जाता है, जो पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की वित्तीय प्रगति पर निर्भर करता है, जिससे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिक निधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

***

**अनुलग्नक-I**

**समग्र शिक्षा योजना और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. भागवत कराड और अन्य द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2101 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक अनुमोदित राज्यवार अतिरिक्त कक्षाएं और नए/उन्नत स्कूल

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **अतिरिक्त कक्षा** | **नए/उन्नत स्कूल** |
|---|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 281 | 2 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 248 | 5 |
| 4. | असम | 3601 | 84 |
| 5. | बिहार | 8319 | 0 |
| 6. | चंडीगढ़ | 0 | 0 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 1865 | 22 |
| 8. | दादरा और नगर हवेली | 1 | 7 |
| 9. | दिल्ली | 36 | 0 |
| 10. | गोवा | 0 | 0 |
| 11. | गुजरात | 832 | 38 |
| 12. | हरियाणा | 2293 | 0 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 222 | 0 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 3418 | 4 |
| 15. | झारखंड | 1243 | 0 |
| 16. | कर्नाटक | 37 | 57 |
| 17. | केरल | 71 | 0 |
| 18. | लद्दाख | 132 | 8 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 998 | 87 |
| 20. | महाराष्ट्र | 146 | 2 |
| 21. | मणिपुर | 307 | 63 |
| 22. | मेघालय | 18 | 31 |
| 23. | मिजोरम | 20 | 29 |
| 24. | नागालैंड | 82 | 4 |
| 25. | ओडिशा | 2363 | 376 |
| 26. | पुडुचेरी | 4 | 1 |
| 27. | पंजाब | 2196 | 229 |
| 28. | राजस्थान | 1556 | 540 |
| 29. | सिक्किम | 6 | 5 |
| 30. | तमिलनाडु | 231 | 0 |
| 31. | तेलंगाना | 209 | 0 |
| 32. | त्रिपुरा | 408 | 32 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 8577 | 328 |
| 34. | उत्तराखंड | 481 | 7 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 2150 | 7 |
| | **कुल** | **42351** | **1968** |

**स्रोत: प्रबंध**

**अनुलग्नक-II**

**समग्र शिक्षा योजना और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. भागवत कराड और अन्य द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2101 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

स्थापना के बाद से अनुमोदित स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम की राज्यवार सूची

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आईसीटी (वर्ष 2005-06 से आज तक) | स्मार्ट क्लासरूम (वर्ष 2020-21 से अब तक) |
|---|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 162 | 49 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 9671 | 6840 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 794 | 345 |
| 4. | असम | 8400 | 7146 |
| 5. | बिहार | 4942 | 11586 |
| 6. | चंडीगढ़ | 155 | 186 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 6965 | 10771 |
| 8. | दमन और दीव-दादर और नागर हवेली | 153 | 192 |
| 9. | दिल्ली | 2208 | 5696 |
| 10. | गोवा | 463 | 87 |
| 11. | गुजरात | 6179 | 7155 |
| 12. | हरियाणा | 5446 | 3556 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 3893 | 2858 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 4341 | 4428 |
| 15. | झारखंड | 5447 | 2459 |
| 16. | कर्नाटक | 9536 | 4099 |
| 17. | केरल | 2489 | 752 |
| 18. | लददाख | 200 | 165 |
| 19. | लक्षदवीप | 28 | 0 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 8489 | 12573 |
| 21. | महाराष्ट्र | 11387 | 6006 |
| 22. | मणिपुर | 997 | 565 |
| 23. | मेघालय | 545 | 25 |
| 24. | मिजोरम | 1166 | 244 |
| 25. | नागालैंड | 811 | 712 |
| 26. | ओडिशा | 10084 | 11776 |
| 27. | पुडुचेरी | 258 | 152 |
| 28. | पंजाब | 8965 | 3938 |
| 29. | राजस्थान | 13408 | 16891 |
| 30. | सिक्किम | 385 | 301 |
| 31. | तमिलनाडु | 16595 | 9832 |
| 32. | तेलंगाना | 7419 | 6248 |
| 33. | त्रिपुरा | 1782 | 1162 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 20098 | 34533 |
| 35. | उत्तराखंड | 1108 | 2829 |
| 36. | पश्चिम बंगाल | 4184 | 581 |
| | **कुल** | **179153** | **176738** |

**अनुलग्नक-III**

**समग्र शिक्षा योजना और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. भागवत कराड और अन्य द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2101 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**पीएम जनमन के तहत अनुमोदित कुल छात्रावास**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल स्वीकृत छात्रावास |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 87 |
| 2. | बिहार | 15 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 40 |
| 4. | गुजरात | 13 |
| 5. | झारखंड | 39 |
| 6. | कर्नाटक | 7 |
| 7. | केरल | 4 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 106 |
| 9. | महाराष्ट्र | 25 |
| 10. | मणिपुर | 6 |
| 11. | ओडिशा | 76 |
| 12. | राजस्थान | 21 |
| 13. | तमिलनाडु | 8 |
| 14. | तेलंगाना | 16 |
| 15. | त्रिपुरा | 32 |
| 16. | उत्तराखंड | 3 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 2 |
| | **कुल** | **500** |

**स्रोत: प्रबंध**

**अनुलग्नक-III(क)**

**समग्र शिक्षा योजना और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. भागवत कराड और अन्य द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2101 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**डीए जेजीयूए के तहत स्वीकृत कुल छात्रावास**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्वीकृत छात्रावास |
|---|---|---|
| 1 | मध्य प्रदेश | 104 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 45 |
| 3 | झारखंड | 5 |
| 4 | तेलंगाना | 10 |
| 5 | त्रिपुरा | 15 |
| 6 | सिक्किम | 5 |
| 7 | राजस्थान | 58 |
| 8 | बिहार | 19 |
| 9 | महाराष्ट्र | 22 |
| 10 | आंध्र प्रदेश | 4 |
| 11 | कर्नाटक | 14 |
| 12 | नागालैंड | 23 |
| 13 | ओडिशा | 40 |
| 14 | मणिपुर | 44 |
| 15 | असम | 209 |
| 16 | गुजरात | 9 |
| 17 | उत्तर प्रदेश | 3 |
| 18 | उत्तराखंड | 3 |
| 19 | लद्दाख | 1 |
| 20 | मिजोरम | 13 |
| 21 | हिमाचल प्रदेश | 2 |
| 22 | छत्तीसगढ़ | 42 |
| 23 | केरल | 2 |
| **कुल** | | 692 |

**स्रोत: प्रबंध**

***